

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।

पत्र संख्या- 3212 / 33-1 दिनांक, मिर्जापुर, जून 23, 2021.
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव
पश्चिमी क्षेत्र, उ०प्र० कानपुर।

विषय: वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत स्वीकृत पैकेज संख्या-यू०पी० 67135 के पटवध से वसुहारी मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण से प्रभावित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति हेतु प्रस्ताव सं०-एफ०पी०/यू०पी०/रोड/59458/2020 के सम्बन्ध में।

संदर्भ: अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०खण्ड, लो०नि०वि०सोनभद्र का पत्रांक 809/यू०पी०-67135 दि० 7-6-2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०खण्ड, लो०नि०वि०सोनभद्र द्वारा कैमूर वन्य जीव प्रभाग के अन्तर्गत वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत स्वीकृत पैकेज संख्या-यू०पी० 67135 के पटवध से वसुहारी मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण से प्रभावित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य हेतु 18हे० का प्रस्ताव इस कार्यालय में दिनांक 17-6-2021 को प्राप्त कराया गया है। उक्त मार्ग का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव तैयार कर संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु 04 प्रतियों में प्रेषित है।

संलग्नक:-प्रस्ताव की 04 प्रति।

भवदीय

(आशुतोष जायसवाल)

प्रभागीय वनाधिकारी

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

संख्या- 3212 / 33-1 समदिनांक।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०खण्ड, लो०नि०वि०सोनभद्र को संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष जायसवाल)

प्रभागीय वनाधिकारी

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।